भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्नल संख्या846

जिसका उत्तार शुक्रवार, 7 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है।

रासायनिक उर्वरकों की उपलब्ध्ता

846. श्रीमती मंजू शर्मा:

क्याय रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थाकिन में उपलब्धग कराए गए रासायनिक उर्वरक की मात्रा कितनी है और तत्सं्बंधी ब्यौ‍रा क्याा है
(ख) क्यास सरकार ने देश में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग के कारण कृषि फसलों/भूमि को होने वाले नुकसान का पता लगाने के लिए कोई शोध किया है अथवा कोई आंकड़े/जानकारी एकत्रित की है;
(ग) यदि हां , तो तत्सं बंधी ब्यौ‍रा क्याइ है
(घ) क्याह सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
(ड.) यदि हां , तो तत्सं बंधी ब्यौ्रा क्याे है

उत्तडर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता नीचे तालिका में दर्शाई गई है -

<आंकड़े एलएमटी में>

वित्तीकय वर्ष 2023-24			
उत्पाद	**आवश्य्कता**	**उपलब्धपता**	**बिक्री**
यूरिया	24.28	29.23	25.39
डीएपी	8.95	9.80	9.37
एमओपी	0.23	0.20	0.15
एनपीकेएस	1.11	1.40	1.08

< आंकड़े एलएमटी में >

वित्तीएय वर्ष 2022-23			
उत्पाीद	**आवश्यीकता**	**उपलब्धएता**	**बिक्री**
यूरिया	21.50	27.91	25.17
डीएपी	7.40	9.70	8.47
एमओपी	0.30	0.18	0.14
एनपीकेएस	0.95	0.85	0.72

< आंकड़े एलएमटी में >

वित्तीएय वर्ष 2021-22			
उत्पाीद	**आवश्यीकता**	**उपलब्धएता**	**बिक्री**
यूरिया	21.00	25.43	22.59
डीएपी	7.70	6.59	6.10
एमओपी	0.30	0.31	0.24
एनपीकेएस	0.63	1.23	1.20

टिप्पतणी: सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धनता> आवश्यककता
सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धंता > बिक्री

(ख) एवं (ग): जी हां। आईसीएआर द्वारा पांच दशकों के अंतराल में 'दीर्घावधि उर्वरक परीक्षणों' पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत निर्धारित स्थलों पर की गई जां चों से पता चला है कि केवल नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के निरंतर उपयोग से मृदा स्वास्थ्य और फसल उत्पादकता पर हानिकारक प्रभाव पड़ा जिससे अन्य प्रमुख और सूक्ष्म पोषक तत्वों में कमी आई। एनपीके और अन्या उर्वरकों की अनुशंसित खुराक के साथ भी , सूक्ष्म और सहायक पोषक तत्वों की कमी वर्षों से उपज को सीमित करने का कारक बनी है। विशेष रूप से हल्की बनावट वाली मृदा में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के अत्यधिक/अति प्रयोग के कारण भूजल में 10 मिलीग्राम एनओ3-एन/एल की अनुमत सीमा से अधिक नाइट्रेट संदूषण की भी संभावना है , जिससे पीने के लिए उपयोग किए जाने पर मनुष्य/पशु स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने के लिए 4आर दृष्टिकोण अर्थात राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, राइट मोड और राइट टाइप के उर्वरक के साथ पादप पोषकतत्वों के अकार्बनिक और जैविक दोनों स्रोतों (खाद, जैव उर्वरक आदि) के मिले-जुले उपयोग के जरिये मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और समेकित पोषकतत्व प्रबंधन की सिफारिश करता है। इसके अलावा, फलीदार फसलों को उगाने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों (आरसीटी) के उपयोग की सिफारिश की जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आवश्यकता पड़ने पर इन सभी पहलुओं पर किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है।

(घ) एवं (ड.): भारत सरकार मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित सिफारिशों पर उर्वरकों के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग की अवधारणा का समर्थन कर रही है। मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता स्कीम की राष्ट्रीय परियोजना के तहत, मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) का उपयोग मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाने और जैविक खाद और जैव-उर्वरकों के साथ सहायक तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित उर्वरक के विवेकपूर्ण उपयोग को

सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। एसएचसी उनकी मृदा में पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी और मृदा स्वास्थ्य और उसकी उर्वरता में सुधार लाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पोषक तत्वों की उचित खुराक की सिफारिश करते हैं।

सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्यमक्षेत्रों में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) तथा विशेष रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है।

पीकेवीवाई के तहत, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, डेटा प्रबंधन, भागीदारी गारंटी प्रणाली-भारत प्रमाणन, मूल्य संवर्धन, विपणन और प्रचार जैसे विभिन्न घटकों को कवर कर ते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु 3 वर्ष की अवधि के लिए 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से फार्म-पर/फार्म-बाह्य जैविक आदानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसानों को 3 वर्ष की अवधि के लिए 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है।

एमओवीसीडीएनईआर स्कीम के तहत, एफपीओ के सृजन हेतु, जैविक आदानों के लिए किसानों को सहायता देने, गुणवत्तापूर्ण बीज/रोपण सामग्री और प्रशिक्षण, हैंड होल्डिंग और प्रमाणन हेतु 3 वर्ष के लिए 46,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से किसानों को 3 वर्ष के लिए 32500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। किसानों को फार्म-पर/फार्म-बाह्य जैविक आदानों के लिए डीबीटी के रूप में 15,000 रुपये और रोपण सामग्री के लिए 17,500 रुपये प्रदान किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित प्राकृतिक खेती पर स्कीम, अर्थात राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ), बीजामृत, जीवामृत, दशपर्णी, नीमास्त्र आदि जैसे फार्म पर उत्पादित प्राकृतिक आदानों का उपयोग, बहु-फसली प्रणालियां, बायोमास-मल्चिंग आदि जैसी प्रथाओं के पैकेज के माध्यम से प्राकृतिक खेती को अपनाने पर केंद्रित है, जिससे बाहरी रूप से खरीदे गए रासायनिक आदानों पर निर्भरता कम हो जाती है और खेती के लिए इनपुट लागत कम हो जाती है। किसानों के लिए प्राकृतिक कृषि आदानों की आसान उपलब्धता के लिए , मिशन के तहत 10,000 आवश्यकता आधारित जैव-आदान संसाधन केन्द्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

******